

संगठन मजबूती और बड़े फैसलों पर मंथन

नड्डा-पंकज की महाबैठक, यूपी भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत

लखनऊ 19 दिसंबर. उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में हुई एक अहम बैठक ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है.

सवाल यही है क्या यूपी भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं? क्या 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से खिंचाई जा रही है? खरमास के दौरान आयोजित यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कार्यभार संभालने के



बाद इसे उनकी पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक बताया जा रहा है. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश नेतृत्व की मौजूदगी ने इसके राजनीतिक मायने और भी बढ़ा दिए हैं. भाजपा के भीतर लंबे समय से

संगठनात्मक फेरबदल, जिलों और मंडलों में नई जिम्मेदारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने को लेकर मंथन चल रहा था. ऐसे में यह बैठक केवल औपचारिक नहीं, बल्कि आने वाले सियासी फैसलों की भूमिका भी मानी जा रही है.

फेरबदल के संकेत

सूत्रों के अनुसार, बैठक में बृथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, युवाओं और नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने और सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाने को लेकर भी मंथन किया गया. खास बात यह रही कि यह बैठक खरमास के दौरान आयोजित की गई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कार्यकाल की पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक माना जा रहा है. ऐसे में इसे आने वाले दिनों में संगठनात्मक फेरबदल का संकेत भी माना जा रहा है.

केजीएमयू ने दुनिया में मानवता की सेवा की है

लखनऊ, 20 दिसंबर. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में मानवता की सेवा की है. यहां से मेडिकल की पढ़ाई कर निकले छात्र आज दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. केजीएमयू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केजीएमयू का गौरवमय इतिहास रहा है.

संकट: हिमाचल की 47 दवाएं हुई फेल

205 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल, मरीजों की सेहत पर खतरा

नई दिल्ली/शिमला 20 दिसंबर. देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के ताजा ड्रा अलर्ट ने फार्मा इंडस्ट्री और मरीजों दोनों की चिंता बढ़ा दी है. जांच में सामने आया है कि देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. हेरानि की बात यह है कि इनमें बुखार, शूल, दिल, आम, संक्रमण और पेट की आम बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं. सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश, जिसे देश का फार्मा हब माना जाता है, वहां निर्मित 47 दवाएं भी इस



जांच में फेल पाई गई हैं. ये दवाएं रोजमर्रा की बीमारियों में मरीजों को दी जाती हैं. ऐसे में सवाल उठता है क्या मरीजों की जान के साथ समझौता किया जा रहा है? बार-बार दवाओं के सैंपल फेल होने के बावजूद सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? सीडीएससीओ की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा निर्माण प्रक्रिया पर गंभीर बहस छेड़ दी है.

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी नवंबर माह के ड्रा अलर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में निर्मित 205 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं. इन दवाओं को 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' (एनएसडी) घोषित किया गया है. इनमें से 47 दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनी हैं, जो देश का प्रमुख फार्मा उत्पादन केंद्र माना जाता है. हिमाचल की ये दवाएं बड़ी, बरतौला, नालागढ़, सोलन, कालाअंब, पांढा साहिब और कानास्थित फार्मा इकाइयों में निर्मित की गई थीं.

अब मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ लड़ूंगी: सोनिया गांधी

नई दिल्ली, 20 दिसंबर. कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा की जगह नया कानून लाकर उसने गरीबों के रोजगार के अधिकार को छीना है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार 11 साल से इस कानून को कमजोर करने का लगातार प्रयास करती रही है और अब उसने गरीबों के रोजगार के लिए बने इस कानून को ही खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह गरीबों को यह अधिकार दिलाने के लिए लड़ूंगी थीं और अब इसे खत्म कर गरीबों का अधिकार छीनने के खिलाफ भी लड़ूंगी. सोनिया गांधी ने शनिवार को यहां



एक वीडियो संदेश में कहा मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था. वह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला. खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना.

बैंक घोटाले में आरोपी कैशियर को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद. उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद को एक अदालत ने इंडियन बैंक को जसराना शाखा में हुए दो करोड़ 40 लाख रुपए के घोटाले में तत्कालीन बैंक कैशियर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि उसके पांच सहयोगियों को 10-10 साल की सजा और सभी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. अपर जिला जज सर्वेश कुमार पांडेय के द्वारा इंडियन बैंक शाखा जसराना में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के सहयोगियों पर चल रहे मामले का निर्णय सुनाते हुए बैंक कैशियर जयकाश सिंह को आजीवन कारावास के साथ 5 लाख 50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है.

सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया

अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर कहा

नई दिल्ली 20 दिसंबर. देश के प्रमुख केन्द्रीय पुलिस बल सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया. इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने तक सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है. अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का सलाम. एसएसबी को स्थापना

1963 में की गई थी और यह सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व के आदर्शों के साथ राष्ट्र सेवा में समर्पित है. यह मुख्य रूप से भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी रोकने, और देश के आंतरिक सुरक्षा व आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर कहा एसएसबी का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है और कर्तव्य की उनकी भावना राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बनी हुई है. उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण भूभागों से लेकर अभियानों की कठिन परिस्थितियों तक एसएसबी हमेशा सतर्क रहती है.

एक नजर में



दिल्ली में एक्यूआई 535 के खतरनाक स्तर पर

नई दिल्ली, 20 दिसंबर. राष्ट्रीय राजधानी में जहरीले धुंए की परत छाने से शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 535 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेप-4 के तहत सभी कारवाइयों लागू की गयी हैं. राजधानी की वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है जहां एक्यूआई 535 रिकॉर्ड किया है. यह खतरनाक श्रेणी को दर्शाता है और एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति का संकेत देता है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हजरत निजामुद्दीन में एक्यूआई 408 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है और दुर्घटना बहुत कम रही.

एसआईआर: राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत

लखनऊ, 20 दिसंबर. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया खत्म होने को है, ऐसे में पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराने के लिये सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एसआईआर का यह चरण 26 दिसंबर को समाप्त होगा है, ऐसे में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने-अपने बृथ स्तर के एजेंटों और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मैदान में उतार दिया है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए. इस प्रक्रिया में लगभग 2.96 करोड़ ऐसे मतदाता दांव पर हैं, जिनके नाम 'अनकलेक्टबल' की श्रेणी में आने के कारण मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं. इसे लेकर राजनीतिक दलों में चिंता है कि यदि उनके समर्थक मतदाताओं के नाम कटते तो 2027 चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है.

दिग्गज अभिनेता-लेखक श्रीनिवासन का निधन

एर्नाकुलम, 20 दिसंबर. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता, लेखक और फिल्ममेकर श्रीनिवासन का शनिवार सुबह 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और केरल के एर्नाकुलम जिले के शिपुनिथुरा तालुक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने 48 साल के शानदार करियर में श्रीनिवासन ने अभिनय, लेखन और निर्देशन के लिए मलयालम सिनेमा को नई पहचान दी। उनके निधन से न सिर्फ केरल बल्कि पूरे भारतीय फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. मलयालम सिनेमा के वरिष्ठ और बहुआयामी कलाकार श्रीनिवासन का शनिवार सुबह 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ थे और एर्नाकुलम जिले के शिपुनिथुरा तालुक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही फिल्म जगत, प्रशंसकों और सांस्कृतिक जगत में गहरा शोक व्याप्त हो गया। कन्नूर में जन्मे श्रीनिवासन ने अपने अभिनय, लेखन और निर्देशन से मलयालम सिनेमा को नई दिशा दी।

आज का इतिहास

- 1784 - जॉन जे अमेरिका के पहले विदेश मंत्री बने।
- 1898 - रसायन शास्त्री पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की।
- 1910 - इंग्लैंड के हुल्टन में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 344 श्रमिकों की मौत।
- 1914 - अमेरिका में पहली मूक हास्य फीचर फिल्म 'तिलीस पंचर्ड रोमांस रिलीज हुई।
- 1923 - ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के दर्जे से मुक्त होकर नेपाल पूर्ण स्वतंत्र देश बना।

धोखाधड़ी करने वालों पर हो कार्रवाई: योगी

सीएम ने पुलिस अधिकारियों को दो दूक हिदायत

गोरखपुर 20 दिसंबर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दो दूक हिदायत दी है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समझावट सुनते हुए दिए और कहा कि ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाय. उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रांड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा

इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को एजेंट के खिलाफ खत कार्रवाई करने और पीड़ित का पैसा दिलाने के निर्देश दिए. उन्होंने महिला को भी समझाते हुए कहा कि विदेश जाने के नाम पर एजेंटों के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए. गलत तरीके से जाने पर लोगों को वहां जेल में रहना पड़ जाता है. जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पीड़ितों की मदद में विलंब व लापरवाही कर्त नहीं होनी चाहिए. जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें.

एकशन लेने के निर्देश दिए. गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से मुलाकात की. योगी ने सभी को आश्चर्य किया कि किसी को भी




घबराने की आवश्यकता नहीं है. हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा. जनता दर्शन में आई एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी किए जाने का मामला मुख्यमंत्री को बताया.

मंत्री गडकरी ने कहा: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे तैयार

सहारनपुर, 20 दिसंबर. केन्द्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नयी दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून का 6-लेन 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे एनएच-72ए बनकर तैयार है.

इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा जा रहा है. उनकी स्वीकृति मिलने के बाद इस महत्वकांक्षी और पर्यावरण के अनुकूल सड़क मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा. इस हाइवे के निर्माण पर 12 हजार करोड़ की लागत आई है. पहले महीने इस मार्ग पर कोई टोल नहीं लगेगा और टोल शुल्क कितना होगा यह बिंदु अभी विचाराधीन है. यह सड़क मार्ग छह लेन है. लेकिन खास बात यह है कि इसको आक लेन का आसानी से किया जा सकेगा. इसकी इसमें गुंजाईश रखी गई है. इस मार्ग को चार चरणों में बांटा है. पहले चरण में शामिल अक्षरधाम से बागपत के



32 किमी लंबे मार्ग को परीक्षण के लिए खोल दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी ने आज बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले वर्ष फरवरी में वाहन फरौंट भरने लगे. इसकी प्रबल संभावना है. सहारनपुर से देहरादून मार्ग पर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर 12 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड कोरीडोर जिसे वन्य जीव गलियारा भी कहते हैं, आकर्षक का मुख्य केंद्र है. वजह इस गलियारे के नीचे वन्य जीव और हाथियों के लिए कई अंडरपास बनाए गए हैं. इस एलीवेटेड कोरीडोर से गुजरते हुए यात्री नीचे वन्य जीवों का स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करते हुए देखने का लुत्फ उठा सकेंगे.

मुस्लिम महिलाओं ने फूका बांग्लादेश पीएम का पुतला

वाराणसी. बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंसक वादों के विरोध में वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने आक्रोश मार्च निकाला और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका. पड़ोसी मुक्त में हिन्दू युवक को हत्या के बाद शव जलाने, अखबारों के दफतरों में आग तथा पत्रकारों पर हमले की कोशिश की गई. इससे नाराज मुस्लिम महिलाओं ने शनिवार को विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के

संयुक्त तत्वाधान में लमही के संभोध भवन से प्रेचंद स्मृति द्वार तक आक्रोश मार्च निकाला.

मार्च के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद युनुस का पुतला दहन किया गया. बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं का साहस बढ़ाने और हिंदुओं को खुलेआम हत्या पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह आक्रोश मार्च निकाला गया.

In The Court of Civil Judge Class-1, Teh Nagda District Court, Ujjain

Presiding Officer: श्री मनीष पाण्डेय
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS 8/000023/2022)
यूको बैंक शाखा नागदा द्वारा शाखा प्रबंधक.....वादी
Vs
राजेन्द्र..... प्रतिवादी
Process Id-
पेशी दिनांक:- 19/01/2026

प्रेषित-

एतद द्वारा इस न्यायालय के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वादी यूको बैंक शाखा नागदा द्वारा प्रबंधक नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा प्रतिवादी राजेन्द्र आदि के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष एक स्थिति वाद क्रमांक आर सी सी 23/2022 प्रस्तुत किया है जो कि न्यायालय में समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की उपस्थिति हेतु नियत है प्रकरण में न्यायालय की ओर से कई बार संमन जारी करने के उपरान्त भी प्रतिवादी क्रमांक 01 राजेन्द्र पिता देवकरजी भी भारद्वाज व प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्णिमा पति राजेन्द्र भारद्वाज निवासी गण 239 गोयल नगर इंदौर जिला इंदौर मध्य प्रदेश प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिसके कारण प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ऐसी स्थिति में प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु जयें जाहिर सूचना समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 01 राजेन्द्र भारद्वाज पिता देवकरजी व प्रतिवादी क्रमांक 02 पूर्णिमा पति राजेन्द्र भारद्वाज को समन जारी किया जाता है।

आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये समन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें। आपको यह निश्चय भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिवादा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाना है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने केच्छुक्त हैं तो पीठवासी अधिकारी को अवगत करावें। आज तारीख 13 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें-
1. यधिकारी कारावह्य उक्त लिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नागदा जिला - उज्जैन (म.प्र.)



टर्ल प्रोडक्शंस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समारोह में मेगा पुस्तक विमोचन,

वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान समारोह और प्रतिभा श्री सम्मान सजा 2 का आयोजन हुआ.

रेको होम फाइनस लिमिटेड

उज्जैन शाखा: नं.: 18/19, बेलाल मार्ग, केनरा बैंक के ऊपर, फ्रोंगज, उज्जैन, उज्जैन - 456001
कल्याण सुचना (अचल संपत्ति के लिए)
जबकि अयोध्यावासी, रेको होम फाइनस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के लिये, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रचलन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े गए धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16.09.2025 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापत, पुत्र श्री देवजी प्रजापति, सह-उधारकर्ता: 1. श्रीमती गुलाब बई प्रजापति, पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापत, 2. सुश्री ममता प्रजापत, पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापत, सी/ओ. श्री कमलकिशोर प्रजापत को बुलाया गया। नोटिस में उल्लिखित ऋण खाता संख्या AHL10010268000226 में उल्लिखित राशि 8,99,758/- रुपये का भुगतान 12.09.2025 से अगे के ब्याज और अन्य लातों सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करना होगा।

ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ताओं द्वारा राशि का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता/ओ और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 9 के अन्वय, अयोध्यावासी ने दिनांक 16 दिसंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ताओं तथा आम जनता को आग्रह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन रेको होम फाइनस लिमिटेड, उज्जैन शाखा के प्रभार के अन्वय होगा, जिसका ऋण खाता संख्या AHL10010268000226 है और दिनांक 15.12.2025 से रु. 9,30,092/- है तथा अन्य लातों भी देखें होंगी। हम आपका ध्यान प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित करते हैं। के अनुसार, यदि सुरक्षित लेनवर के सभी बकाया, साथ ही सुरक्षित लेनवर द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित संपत्ति की वित्तीय या हस्तान्तरण के लिए निष्पत्ति तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सुरक्षित संपत्ति के हस्तान्तरण या वित्तीय के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

संपत्ति का विवरण
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की पटिया तहसील के घटिया गांव में स्थित सर्वे संख्या 680 में शामिल मकान/प्लॉट संख्या 213/1, पीएच नं. 51 भाग, जिसका क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर या 990 वर्ग फुट है, की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में कौमन वे, पश्चिम में केलाश प्रजापत का घर, उत्तर में रमेश चंद का घर, दक्षिण में रमेश चंद का घर।
दिनांक: 16.12.2025 अधिकृत अधिकारी, रेको होम फाइनस लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank इंडियन बैंक, बडवानी शाखा : 83/1, देवीसिंह मार्ग, रोटीवाड़ी स्कूल के पास, बडवानी - 451551

परिशिष्ट - 4 (नियम-8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का संपादन नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणी श्री अतुल पाटीदार पति रमेशचन्द्र पाटीदार (आवेदक/बंधककर्ता) एवं श्रीमती हंसा पाटीदार पति रमेशचन्द्र पाटीदार (सह-आवेदक/बंधककर्ता) को हमारी बडवानी शाखा से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र दिनांक 01.09.2025 उक्त सूचना पत्र की दिनांक से 60 दिवस के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि रु. 7,51,835/- (रुपये सात लाख इक्कवन हजार आठ सौ पैंतिस मात्र) उस पर ब्याज और आगे ब्याज के साथ लाटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लाटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपादित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति को आधिपत्य दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रु. 7,51,835/- (रुपये सात लाख इक्कवन हजार आठ सौ पैंतिस मात्र) एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

“हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके ऋणमुक्ति के अधिकारों से संबंधित हैं।”

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति का शे ए एवं संपूर्ण भाग जिसमें शामिल प्लॉट नंबर 5, वार्ड नंबर 4 सर्वे नं. 409/4 मनोरम नगर कॉलोनी, सेंट मैरी स्कूल के पास, तहसील एवं जिला बडवानी (म.प्र.) 451551 कुल क्षेत्रफल-800 वर्गफीट या 74.322 वर्गमीटर, रजिस्ट्रेशन सब-डिवीजन बडवानी एवं जिला बडवानी-451551 के अंतर्गत चतुर्भुजा: उत्तर :- प्लॉट नंबर 6, दक्षिण :- प्लॉट नंबर 4, पूर्व :- कॉलोनी रोड, पश्चिम :- एकलव्य नगर कॉलोनी

दिनांक : 21.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी इंडियन बैंक